न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-448RAAJodhpur2023-206RTA225 Nakhatu ors Vs Devisingh etc

01. नखतु पुत्री भीखसिंह, जाति राजपूत, निवासी– कानसिंह की सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।
02. श्रीमती किशन कंवर पत्नी चांदसिंह जाति राजपूत, निवासी– वार्ड– 5, आसलखेड़ी, तहसील व जिला चुरू।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. देवीसिंह पुत्र रेवंतसिंह जाति राजपूत, निवासी– कानसिंह की सिड तहसील बाप, जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।

रेस्पो.

02. खेतसिंह पुत्र कानसिंह
03. जेठी कंवर पुत्री रेवतसिंह
04. देवीसिंह पुत्र कानसिंह
05. धुड़कंवर पत्नी रेवतसिंह
06. नेमीकंवर पुत्री रेवतसिंह
07. प्रतापसिंह पुत्र नखतसिंह
08. मदनसिंह पुत्र नखतसिंह
09. स्वरूपसिंह पुत्र नखतसिंह
10. परबतसिंह पुत्र रेवतसिंह
11. भेरूसिंह पुत्र उदयसिंह
12. मगसिंह पुत्र उदयसिंह
13. मनोहरसिंह पुत्र रेवतसिंह
14. मोहनकंवर पत्नी नखतसिंह
15. मोहनसिंह पुत्र उदयसिंह
16. स्वरूपसिंह पुत्र कानसिंह
17. हरिसिंह पुत्र उदयसिंह
18. आसूसिंह पुत्र हेमसिंह
19. करणसिंह पुत्र हेमसिंह
20. हवाकंवर पुत्री हेमसिंह
21. धापूकंवर पुत्री हेमसिंह
22. राधाकंवर पुत्री हेमसिंह
23. रूपोकंवर पुत्री हेमसिंह
24. रामसिंह पुत्र नारायणसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम कानसिंह की सिड़, तहसील बाप, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ आदेश दिनांक 01 नवंबर 2023 सहायक कलक्टर
बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 320/2022 देवीसिंह बनाम
खेतसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 29 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 320/2022 अनवान देवीसिंह बनाम खेतसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 नवंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा अपीलांट संख्या दो को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1054 रकबा 14.9086 हैक्टेयर, खसरा नं. 1088 रकबा 32.3748 हैक्टेयर ग्राम शक्तिनगर कानसिंह की सिड़ के संबंध धारा 53, 92–ए व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित नही किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01 नवंबर 2022 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम शक्तिनगर कानसिंह की सिड के खसरा नं. 1054 रकबा 14.9086 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 1088 रकबा 32.3748 हैक्टेयर में वादी प्रत्यर्थी संख्या एक का केवल 1/30 हिस्सा ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनो खसरों में संपूर्ण रकबे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या एक वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से का रेकर्डेड सहखातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है तथा प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या एक द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा अपीलार्थी संख्या दो किशनकंवर पत्नी चांदसिंह को दिनांक 19.10.2022 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख बैचान कर दिया, लेकिन नामांतरकरण नहीं हुआ, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या दो को पक्षकार बनाये बिना वादग्रस्त आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। यह निर्विविवादित तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की कृषि भूमि है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या एक वादी का केवल 1/30 हिस्सा सहखातेदारी में स्थित है। इस कारण वह अपने हिस्से से अधिक अस्थाई निषेधाज्ञाा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त आराजी के दोनो खसरों में संपूर्ण रकबे के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया, जिससे अन्य सभी सहखातेदार प्रभावित हुए है। इस कारण न्याय हित में अपीलाधीन आदेश को वादी के हक–हिस्से तक संशोधित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर कथन किया कि अपीलार्थी संख्या दो पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये सद्भाविक क्रेता एवं सहखातेदार है, जिस कारण अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट संख्या दो को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 नवंबर 2023 को खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलार्थी नखतु पुत्री भीखसिंह ने वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1054 रकबा 14.9086 हैक्टेयर, खसरा नं. 1088 रकबा 32.3748 हैक्टेयर में 1/5 हिस्से की रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। अपीलार्थी संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित अपने संपूर्ण हिस्से को पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 19.10.2022 के जरिये अपीलांट संख्या दो किशन कंवर को बेचान किया जा चुका है। अद्यतन जमाबंदी मुताबिक वादी वादग्रस्त आराजी में केवल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1/30 हिस्से का रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 1054 रकबा 14.9086 हैक्टेयर, खसरा नं. 1088 रकबा 32.3748 हैक्टेयर में अपने 1/30 के संबंध मे शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं किये जाने तथा उक्त हिस्से की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का अनुतोष चाहा गया है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा वादी के हिस्से को संरक्षित किये जाने के बजाय संपूर्ण आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश वांछित अनुतोष के विपरीत एवं विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 320/2022 अनवान देवीसिंह बनाम खेतसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 नवंबर 2023 को संशोधित किया जाकर उभय पक्षकारान् को विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी ग्राम श्रीशक्तिनगर के खसरा नं. खसरा नं.1054 रकबा 14.9086 हैक्टेयर, खसरा नं. 1088 रकबा 32.3748 हैक्टेयर में प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक के 1/30 हक–हिस्से तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी/रेस्पोडेंट् संख्या एक के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर